

**भागलपुर समाहरणालय****राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अर्जन निदेशालय)****अधिघोषणा**

संख्या .....-२६६०/२१.

दिनांक :-२०-११-१३

आर० चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम लुकमानपुर थाना नं० 29 राजस्व थाना बिहपुर अंचल खरीक जिला भागलपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् विजय घाट के समीप कोशी नदी पर कुल 12 कि०मी० लम्बाई में पहुँच पथ, गार्ड बॉध एवं उच्चस्तरीय आर० सी० सी० पुल के निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम लुकमानपुर थाना नं० 29 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश बीगधा X कटठा X धुर X जो कृषि योग्य 36.78 एकड़ भूमि है, जो कुल 36.78 एकड़ के बराबर होता है। जिसका खसरा संख्या निम्न प्रकार है -

पूर्ण खसरा नं० 1136, 1169, 1170, 1171, 1184, 1017, 1022, 1052, 1057, 1065, 1066, 1067, 1070 तथा अंश खसरा नं० 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1137, 1139, 1140, 1144, 1166, 1167, 1168, 1172, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1186, 1010, 1012, 1014, 1015, 1016, 1021, 1023, 1024, 1035, 1036, 1037, 1038, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1063, 1064, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073 एवं 1077 है तथा जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है -

उत्तर - पूर्ण खसरा नं० 1138, 1018 तथा अंश खसरा नं० 1131, 1132, 1134, 1135, 1139, 1137, 1140, 1069, 1068, 1050, 1051, 1053, 1054, 1055, 1038, 1036, 1035, 1024, 1023, 1021, 1167, 1168, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183 एवं अंश सिमाना मौजा परतापनगर थाना नं० 124 है।

पूरब - पूर्ण खसरा नं० 1018, 1019, 1138 एवं अंश खसरा नं० 1185, 1056, 1037, 1055, 1144, 1179, 1054, 1051, 1068, 1069, 1140, 1139, 1020, 1137, 1053 तथा अंश सिमाना मौजा परतापनगर थाना नं० 124 है।

दक्षिण - पूर्ण खसरा नं० 1138 एवं अंश खसरा नं० 1137, 1139, 1130, 1132, 1135, 1073, 1072, 1071, 1134, 1069, 1077, 1063, 1064, 1062, 1056, 1058, 1014, 1015, 1016, 1012, 1010, 1166, 1172, 1173, 1177, 1180, 1176, 1181, 1186, 1185 एवं 1019 है।

पश्चिम - पूर्ण खसरा नं० 1138, 1018, 1019 एवं अंश खसरा नं० 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1144, 1073, 1072, 1071, 1069, 1077, 1063, 1064, 1056, 1058, 1014, 1015, 1016, 1012, 1020, 1172, 1180, 1181 एवं 1183 है।

भूमि वो भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, पत्थर, स्लेट या अन्य किसी खनिजों के खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एवं खनिजों के

केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिये भू-अर्जन की जा रही है, उसके निर्माण के लिये खोदना या हटाना या उपभोग में लाना आवश्यक हो तो लिये जायेंगे।

यह अधिधोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1, 1894 एवं भू-अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 6 के उपबन्धों यथा संशोधित बिहार अधिनियम 11 सन 1961 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी किया जाता है, जिसका इससे संबंध है।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / -  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।

Ay  
समाहर्ता,  
भागलपुर

ज्ञा0सं0-14 / डी0एल0ए0 भागलपुर (विजयघाट कोशी पुल)-06 / 2013-2660 / रा0, पटना-15, दिनांक:-26/11/2013

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, भागलपुर को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचना प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

6W  
13/11/13  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।  
R